



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224779
CG-DL-E-29012021-224779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/माघ 9, 1942

No. 405]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 442(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 23 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3253(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मुजफ्फरनगर में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों हिन्दुस्तान टाइम्स व हिन्दुस्तान, तारीख 25 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा उस पर विचार किया गया और तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला मुजफ्फरनगर

क्र० संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे)	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	खतौली	टिटौडा	निजी	कृषि	645	0.0852	सुखबीर, रामबीर व संजय पुत्रगण रामस्वरूप, हरीश कुमार व गौरव कुमार पुत्रगण राजेन्द्र व श्रीमती शशी पत्नी स्व० राजेन्द्र, भोपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह, आदेश कुमार मोतला, सुदेश कुमार मोतला, विदेश कुमार मोतला पुत्रगण भोपाल सिंह, सन्तरपाल पुत्र काले, विनोद कुमार पुत्र झुम्न सिंह उर्फ जुम्मा।
2		टबिटा	निजी	कृषि	51	0.1274	रणवीर सिंह, रविन्द्र कुमार पुत्रगण भगवानदास, सुखवीर सिंह, सुरेश कुमार, राजवीर सिंह व युद्धवीर सिंह पुत्रगण नथवा व श्रीमती लीलावती पत्नी स्व० नथवा, सत्यवीर सिंह, जसवीर सिंह व जगवीर सिंह पुत्रगण सतेन्द्र व श्रीमती सन्ती देवी पत्नी स्व० सतेन्द्र।
			निजी	कृषि	10/3	0.0751	कुशपाल पुत्र हरी सिंह।
			निजी	कृषि	10/1	0.0626	शेरपाल पुत्र हरी सिंह।
			निजी	कृषि	43	0.0610	लदूर सिंह पुत्र मुन्शी, भीम सिंह पुत्र लदूर सिंह, श्रीमती सुशीला पत्नी श्याम सिंह, विक्रान्त तोमर व अभिषेक तोमर ना०बा० पुत्रगण श्याम सिंह, कु० मनीषा पुत्री श्याम सिंह।
3		खानूपुर	निजी	कृषि	55म	0.2117	मन्सुरपुर शुगर मिल।
4		बेगराजपुर	निजी	कृषि	439	0.0196	राजेन्द्र, तेजपाल पुत्रगण रामदास, मोनू पुत्र इन्द्रपाल, श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० इन्द्रपाल।
5	सदर	जडौदा	निजी	कृषि	8	0.0743	धर्मपाल पुत्र दलेल।
		भीरापुर	निजी	कृषि	364/1	0.0917	शौरसिंह पुत्र कलीराम।
			निजी	कृषि	164	0.1576	ब्रह्मपाल सिंह, ब्रजपाल सिंह, नरेन्द्र सिंह व उदयवीर सिंह पुत्रगण बलवीर सिंह।
			निजी	कृषि	165	0.0022	राहुल चौहान पुत्र इन्द्रपाल सिंह।
			निजी	कृषि	376	0.0128	महीपाल सिंह, शिव कुमार, रविन्द्र पाल पुत्रगण अतर सिंह, सुखी उपनाम सुमित्रा पत्नी अतर सिंह।
7		महमूदपुर उर्फ लकड़संधा	निजी	कृषि	137	0.0940	सुभाष, राकेश, राजीव, संजीव पुत्रगण श्रीचन्द व श्रीमती प्रकाशी पत्नी स्व० श्रीचन्द।
8		पीनना	निजी	कृषि	410	0.0376	सतवीरी पत्नी स्व० रणधोल व सुबोध पुत्र स्व० रणधोल व इग्नेश कुमार व राघवेन्द्र आर्य पुत्रगण विकास कुमार व सुमेधा आर्य पुत्री विकास कुमार, नैपाल सिंह पुत्र कदमसिंह, सतविरेंद्र व चन्द्रमणी पुत्रगण रणजीत सिंह।
		सलेमपुर	निजी	कृषि	81	0.0550	जगमेर सिंह, सत्यबीर सिंह पुत्रगण भगीरथ, सुनील कुमार पुत्र हरपाल सिंह, शकुन्तला पत्नी स्व० हरपाल सिंह।
			निजी	कृषि	75	0.0687	राजबल सिंह पुत्र बारू।
9			निजी	कृषि	85	0.0110	किशन सिंह पुत्र मंगत, संजीव कुमार व अनिल कुमार पुत्रगण रामपाल, चैन सिंह पुत्र दिलावर सिंह, शिवराज सिंह व लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्रीचन्द, सागर ना०बा० पुत्र देविन्द्र सिंह, संजोगिता देवी पत्नी स्व० देविन्द्र सिंह, मोहित पुत्र महक सिंह, कु० सोनिया व कु० शिवानी पुत्री महक सिंह, कु० करिश्मा ना०बा० पुत्री महक सिंह संरक्षिका सरोज माता, सरोज पत्नी स्व० महक सिंह, सतबीर सिंह पुत्र भगीरथ, कविता देवी पत्नी विरेन्द्र।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2112]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निर्देशक (भू. एवं सु. और स्टेटि.)

MINISTRY OF RAILWAY
(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 442(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3253 (E), dated the 23rd September, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd September, 2020 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Muzaffarnagar in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Hindustan Times and Hindustan, dated the 25th September, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same has been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Muzaffarnagar in the State of Uttar Pradesh.

District: Muzaffarnagar

Sr. No.	Name of Taluk	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Khasra No.	Area in Hectares	Name of The Land owner/interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Khatauli	Titoda	Private	Agriculture	645	0.0852	Sukhbir, Rambir and Sanjay S/o Ramswaroop, Harish Kumar and Gaurav Kumar S/o Rajendra and Smt. Shashi W/o Late Rajendra, Bhopal Singh S/o Natthu Singh, Aadesh Kumar Motla, Sudesh Kumar Motla, Videsh Kumar Motla S/o Bhopal Singh, Santerpal S/o Kale, Vinod Kumar S/o Jhumman Singh Urf Jumma.
2		Tabitta	Private	Agriculture	51	0.1274	Ranvir Singh, Ravindra Kumar S/o Bhgwandas, Sukhbir Singh, Suresh Kuma, Rajvir Singh and Yudhveer Singh S/o Nathua, Smt. Lilawati W/o Late Nathua, Satyaveer Singh, Jasvir Singh and Jagvir Singh S/o Satendra and Smt. Santi Devi W/o Late Satendra.
			Private	Agriculture	10/3	0.0751	Kushpal S/o Hari Singh.
			Private	Agriculture	10/1	0.0626	Sherpal S/o Hari Singh.
			Private	Agriculture	43	0.0610	Latoor Singh S/o Munshi, Bheem Singh S/o Latour, Smt. Sushila W/o Shyam Singh, Vikrant Tomar and Abhishek

Sr. No.	Name of Taluk	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Khasra No.	Area in Hectares	Name of The Land owner/interested persons
							Tomar Minor. S/o Shyam Singh, Ku. Manisha D/o Shyam Singh.
3		Khanupur	Private	Agriculture	55m	0.2117	Mansurpur Sugar Mil.
4		Begrajpur	Private	Agriculture	439	0.0196	Rajendra, Tejpal S/o Ramdas, Monu S/o Indrapal, Smt. Geeta Devi W/o Late Indrapal.
5	Sadar	Jaroda	Private	Agriculture	8	0.0743	Dhrampal S/o Dalel.
6		Meerapur	Private	Agriculture	364/1	0.0917	Shor Singh S/o Kaliram.
			Private	Agriculture	164	0.1576	Bhrampal Singh, Brijpal Singh, Narendra Singh and Udayveer Singh S/o Balveer Singh.
			Private	Agriculture	165	0.0022	Rahul Chauhan S/o Indrapal Singh.
			Private	Agriculture	376	0.0128	Mahipal Singh, Shiv Kumar, Ravindrapal S/o Atar Singh, Sukkhi Surname Sumitra W/o Atar Singh.
7		Mahmoodpur urf Lakarsandha	Private	Agriculture	137	0.0940	Subhash, Rakesh, Rajeev, Sanjeev S/o Shri Chand and Smt. Prakashi W/o Late Shri Chand.
8		Pinna	Private	Agriculture	410	0.0376	Satveeri W/o Late Randhole and Subodh S/o Late Randhole and Ignesh Kumar and Raghvendra Arya S/o Vikas Kumar and Sumedha Arya D/o Vikas Kumar, Nepal Singh S/o Kadam Singh, Satvirendra and Chandramani S/o Ranjeet Singh.
9		Salempur	Private	Agriculture	81	0.0550	Jagmer Singh. Satbir Singh S/o Bhagerath, Sunil Kumar S/o Harpal Singh, Shakuntla W/o Late Harpal Singh.
			Private	Agriculture	75	0.0687	Rajbal Singh S/o Baru.
			Private	Agriculture	85	0.0110	Kishan Singh S/o Mangat, Sanjeev Kumar and Anil Kumar S/o Rampal, Chain Singh S/o Dilawar Singh, Shivraj Singh and Lokendra Singh S/o Shrichand, Sagar Minor. S/o Late Devindra Singh, Sanjogita Devi W/o Late Devindra Singh, Mohit S/o Mahak Singh, Ku. Soniya and Ku. Shivani, Ku. Karishma Minor. D/o Mahak Singh Guardian Saroj Mother, Saroj W/o Late Mahak Singh, Satbir Singh S/o Bhagerath, Kavita Devi W/o Virendra.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2112]

A.K. SINHA, Executive Director (LA and SD)